

**मांग संख्या .
मुख्य शीर्ष 2049**

मद क्रमांक 1

राज्य शासन द्वारा लिये गये बाजार ऋणों के ब्याज भुगतान हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

राज्य शासन द्वारा लिये गये बाजार ऋणों के ब्याज भुगतान हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

राज्य शासन द्वारा लिये गये बाजार ऋणों के ब्याज भुगतान हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मांग संख्या ..
मुख्य शीर्ष 6003**

मद क्रमांक 1

राज्य शासन द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से जारी किये गये उदय बाण्ड से प्राप्त ऋण के पुनर्भुगतान हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 001
मुख्य शीर्ष 2013**

मद क्रमांक 1

सामान्य प्रशासन विभाग हेतु मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान योजना अंतर्गत प्रत्यक्ष राज सहायता मद हेतु राशि रुपये 40.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 2

सामान्य प्रशासन विभाग हेतु सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य योजना अंतर्गत (नवीन मद) हार्डवेयर/साफ्टवेयर का प्रतिस्थापन मद में प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2062

मद क्रमांक 3

सामान्य प्रशासन विभाग हेतु लोकायुक्त योजना अंतर्गत पारितोषिक, पुरस्कार एवं सम्मान मद हेतु राशि रुपये 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 4

सामान्य प्रशासन विभाग हेतु प्रशासन अकादमी अंतर्गत कार्यालय के लिये उपकरणों का क्रय मद हेतु राशि रुपये 69.20 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 69,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

सामान्य प्रशासन विभाग हेतु स्वागत तथा सामपत्तिक पदाधिकारी का कार्यालय योजना अंतर्गत चिकित्सा व्यय पूर्ति मद हेतु राशि रुपये 3.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 6

सामान्य प्रशासन विभाग हेतु राज्य लोक सेवा आयोग योजना अंतर्गत स्थाई संपत्तियों का अनुरक्षण (नवीन मद) में प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

सामान्य प्रशासन विभाग की योजना स्थाई संपत्तियों का अनुरक्षण (नवीन मद) में प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 002

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 1

विमानन संचालनालय अंतर्गत व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां मद में परिवहन व्यवस्था हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 003

मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 1

गृह विभाग हेतु राज्य साइबर मुख्यालय योजना के लिये यात्रा भत्ता प्रशिक्षण/विदेश यात्रा (नवीन मद) में प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

गृह विभाग हेतु सामान्य व्यय (जिला स्थापना) योजना के लिये किराया महसूल और स्थानीय कर मद में रुपये 1.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 9

गृह विभाग की केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति/जनजाति थानों की स्थापना अंतर्गत नवीन सेगमेंट में राशि के प्रावधान आवश्यक होने से रुपये 5929.20 लाख की आवश्यकता है। इस राशि का समायोजन एस.एन.ए. खाते से किया जायेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 59,29,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10 - 14

गृह विभाग अंतर्गत पर्यवेक्षक कर्मचारी वृन्द योजना हेतु (नवीन मद) में प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 500 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15

गृह विभाग अंतर्गत स्टेट क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की स्थापना योजना के लिये अभिभाषकों की फीस मद में रुपये 5.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16

गृह विभाग हेतु विधि चिकित्सा विज्ञान प्रयोगशाला योजना के लिये अन्य प्रभार मद में राशि रुपये 1.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17 - 18

गृह विभाग हेतु महिला हेल्प डेस्क (निर्भया फण्ड) योजना के लिये कार्यालय फर्नीचर का क्रय मद में राशि रुपये 75.00 लाख एवं नवीन वाहन का क्रय मद में राशि रुपये 175.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 19

गृह विभाग हेतु विभागीय संपत्तियों का संधारण योजना के लिये स्थाई संपत्तियों का अनुरक्षण (नवीन मद) में प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 20

गृह विभाग हेतु आपदा प्रबंधन संस्थान को अनुदान योजना के लिये अन्य - शर्त रहित अनुदान मद में राशि रुपये 2.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4055

मद क्रमांक 21 - 22

गृह विभाग हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत बालाघाट जिले को सहायता योजना के लिये उपकरण मद में राशि रुपये 3.28 करोड़ एवं वृहद निर्माण कार्य मद में राशि रुपये 16.72 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है। प्रस्तावित राशि रुपये 20.00 करोड़ का समायोजन आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु किया जायेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 23

गृह विभाग हेतु सामान्य व्यय (जिला स्थापना) योजना के लिये भूमि का क्रय/अधिग्रहण मद में रुपये 20.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6216

मद क्रमांक 24

गृह विभाग हेतु मुख्यमंत्री पुलिस आवास हेतु हुडकों से लिये गये ऋणों का भुगतान योजना के लिये ऋण अदायगी मद में राशि रुपये 280.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,80,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 004

मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 1

एफ़ो इंस्टीट्यूट का शिक्षण कार्यक्रम के लिये सहायक अनुदान हेतु नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। व्यय की प्रतिपूर्ति अन्य मदों की संभावित बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2-3

बायोस्फियर रिजर्व योजना के लिये सहायक अनुदान हेतु नवीन मद खोलते हुये प्रतीक प्रावधान किया जाना है। व्यय की प्रतिपूर्ति अन्य मदों की संभावित बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 005

मुख्य शीर्ष 2056

मद क्रमांक 1

जेल विभाग हेतु केन्द्रीय तथा जिला जेलें योजना के लिये किराया, महसूल और स्थानीय कर मद में राशि रुपये 50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 007

मुख्य शीर्ष 2030

मद क्रमांक 1

वाणिज्यिक कर विभाग की योजना प्राधिकरण मुख्यालय स्थापना अंतर्गत किराया, महसूल और स्थानीय कर के भुगतान हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

वाणिज्यिक कर विभाग की योजना स्टाम्प की बिक्री पर व्यय अंतर्गत न्यायिक स्टाम्प पर संग्रहण प्रभार के भुगतान हेतु राशि रुपये 110.861 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,10,86,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

वाणिज्यिक कर विभाग की योजना स्टाम्प की बिक्री पर व्यय अंतर्गत न्यायिक स्टाम्प पर संग्रहण प्रभार के भुगतान हेतु राशि रुपये 1728.894 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 17,28,89,400 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

वाणिज्यिक कर विभाग की योजना पालिका अधिनियम अंतर्गत पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से प्राप्त राशि का निधि में अंतरण हेतु राशि रुपये 178.19 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,78,19,05,600 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2043

मद क्रमांक 5

वाणिज्यिक कर विभाग की योजना जिला स्थापना अंतर्गत पारितोषिक, पुरस्कार, सम्मान के भुगतान हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 6

वाणिज्यिक कर विभाग की योजना विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण अंतर्गत विभागीय आवासीय भवनों के संधारण हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 008

मुख्य शीर्ष 2053

मद क्रमांक 1

जिला स्थापना अंतर्गत आकस्मिकता निधि से प्रदाय राशि के समायोजन हेतु डिक्रीधन (भारित) मद में राशि रुपये 89.06 करोड़ का प्रावधान किया जाना है। प्रस्तावित राशि रुपये 89.06 करोड़ का समायोजन आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु किया जायेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 89,06,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 2

राजस्व विभाग के अंतर्गत विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण योजना अंतर्गत आवासीय भवनों के रख-रखाव हेतु प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

राजस्व विभाग के अंतर्गत विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण योजना अंतर्गत आवासीय भवनों के रख-रखाव हेतु प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

राजस्व विभाग के अंतर्गत विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण योजना अंतर्गत आवासीय भवनों के रख-रखाव हेतु प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 010

मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 1

देहरादून वन प्रशिक्षण केन्द्र से संबंधित याता देयकों के लंबित दायित्वों के भुगतान हेतु मद में वित्तीय वर्ष में राशि रुपये 201.08 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,01,08,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 3

एक जिला-एक उत्पाद योजना के क्रियान्वयन हेतु नवीन योजना खोली जाकर प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण में प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन हेतु अध्ययन एवं अनुसंधान सहायक अनुदान मद में राशि रुपये 1.50 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना अंतर्गत डिक्रीधन का भुगतान (भारित) मद में राशि रुपये 80.00 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 80,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6 - 9

जंगली हाथियों का प्रबंधन हेतु नवीन योजना खोली जाकर प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन) (केन्द्रीय प्रवर्तित) अंतर्गत संधारण अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि) के भुगतान हेतु नवीन बजट लाइन-0707 खोली जाकर राशि रुपये 96.00 लाख के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 96,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 012

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 1

अटल गृह ज्योति योजना हेतु राशि रुपये 750.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 7,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6801

मद क्रमांक 2-7

रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.) अंतर्गत ऋण तथा अग्रिम मद में प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 600 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 013
मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1

कृषि विभाग की ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना के लिये (नवीन योजना अपरीक्षित मद) सहायक अनुदान हेतु राशि रुपये 217.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,17,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

कृषि विभाग की ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना के लिये (नवीन योजना अपरीक्षित मद) सहायक अनुदान हेतु राशि रुपये 77.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 77,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

कृषि विभाग की ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना के लिये (नवीन योजना अपरीक्षित मद) सहायक अनुदान हेतु राशि रुपये 56.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 56,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

कृषि विभाग के अंतर्गत सूरज धारा योजना (नवीन मद) के अंतर्गत अन्य राज सहायता हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

कृषि विभाग के अंतर्गत अन्नपूर्णा योजना (नवीन मद) के अंतर्गत अन्य राज सहायता हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

कृषि विभाग के अंतर्गत राज्य कृषि वानिकी योजना (नवीन मद) के अंतर्गत अन्य राज सहायता हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 7

अटल कृषि ज्योति योजना में राशि रुपये 750.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 7,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 014

मुख्य शीर्ष 2403

मद क्रमांक 1 - 11

पशुपालन विभाग के अंतर्गत दुग्ध, अण्डा, ऊन एवं मांस की उपलब्धता अंतर्गत नवीन सेगमेंट में वेतन भत्तों हेतु राशि रुपये 312.43 लाख की

आवश्यकता है। इस राशि का एस.एन.ए. खाते से समायोजन किया जायेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,12,43,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 015
मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1

घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु जनजाति विभाग के अंतर्गत विमुक्त जातियों के अभ्यर्थियों को आई.टी.आई. प्रशिक्षण दिये जाने हेतु नवीन मद के रूप में प्रतीक प्रावधान रखा जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2,6

घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु जनजाति विभाग के अंतर्गत कक्षा 9वीं एवं 11वीं की कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन के लिये राज्य मद में राशि रुपये 9.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 9,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3,4,7

घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु जनजाति विभाग अंतर्गत माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की लंबित छात्रवृत्ति भुगतान हेतु राज्य मद में राशि रुपये 4.50 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु जनजाति विभाग अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों की लंबित छात्रवृत्ति भुगतान हेतु राज्य मद में राशि रुपये 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8-10

घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु जनजाति विभाग अंतर्गत पोस्ट मैट्रिक के विद्यार्थियों की लंबित छात्रवृत्ति भुगतान हेतु राज्य मद में राशि रुपये 11.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 11,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 017
मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 1

सहकारिता विभाग की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण योजना अंतर्गत राशि रुपये 38.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 38,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 018
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1

श्रम विभाग के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लिये संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक (नवीन मद) में प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 2

श्रम विभाग हेतु मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के लिये अन्य-शर्त रहित अनुदान (सामान्य) मद में राशि रुपये 186.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,86,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

श्रम विभाग हेतु मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के लिये अन्य-शर्त रहित अनुदान (अनुसूचित जनजाति उप योजना) मद में राशि रुपये 66.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 66,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

श्रम विभाग हेतु मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के लिये अन्य-शर्त रहित अनुदान (अनुसूचित जाति उप योजना) मद में राशि रुपये 48.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 48,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 019

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 1

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण योजना अंतर्गत आवासीय भवनों के रख-रखाव हेतु प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 2

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत खाद्य पदार्थों में मिलावट के रोकथाम के लिये इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में निर्माणाधीन खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला उपकरणों का क्रय हेतु राशि रुपये 3.56 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,56,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 020

मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 1 - 6

ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाओं के संधारण योजना अंतर्गत अनुरक्षण व विद्युत प्रभार मदों में कुल राशि रुपये 151.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,51,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4215

मद क्रमांक 7

जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत वेतन भत्ते मद में राशि रुपये 20.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है। इस राशि का समायोजन एस.एन.ए. खाते

से किया जायेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 022
मुख्य शीर्ष 2059

मद क्रमांक 1

सतपुड़ा एवं विन्ध्याचल भवन के अनुरक्षण कार्य के लिये राशि रुपये 1.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 3

कार्यालय भवनों का रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य के लिये राशि रुपये 3.00 करोड़ एवं सहायक अनुदान हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ कुल राशि रुपये 4.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 4 - 5

प्रकाश तरुण पुष्कर का स्थापना एवं अनुरक्षण कार्य अंतर्गत अनुरक्षण कार्य के लिये राशि रुपये 10.00 लाख एवं सामग्री एवं पूर्ति के लिये राशि रुपये 10.00 लाख कुल राशि रुपये 20.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

शहीदों के परिवारों को भू-खण्ड के लिये सहायक अनुदान हेतु राशि रुपये 2,40,20,100 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,40,20,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4217

मद क्रमांक 7

भोपाल, स्मार्ट सिटी 0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य केन्द्रांश) अंतर्गत धनवेष्टन/निवेश हेतु नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

इंदौर, स्मार्ट सिटी 0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य केन्द्रांश) अंतर्गत धनवेष्टन/निवेश हेतु नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

जबलपुर, स्मार्ट सिटी 0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य केन्द्रांश) अंतर्गत धनवेष्टन/निवेश हेतु नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

प्रावधान किया जाना है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 19

सागर, स्मार्ट सिटी 0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य राज्यांश) अंतर्गत धनवेष्टन/निवेश हेतु नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20

सतना, स्मार्ट सिटी 0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य राज्यांश) अंतर्गत धनवेष्टन/निवेश हेतु नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 21

अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य के लिये राशि रुपये 52.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 52,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6217

मद क्रमांक 22

मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना-चतुर्थ चरण (नवीन योजना) अंतर्गत ऋण तथा अग्रिम (ब्याज सहित) मद में राशि रुपये 400.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 023

मुख्य शीर्ष 2701

मद क्रमांक 1-2

नहरें तथा तालाब योजना अंतर्गत स्थाई सम्पत्तियों के अनुरक्षण व विद्युत प्रभार मद में कुल राशि रुपये 40.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2702

मद क्रमांक 3-4

अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य के अंतर्गत स्थाई संपत्तियों के अनुरक्षण व विद्युत प्रभार मद में कुल राशि रुपये 40.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 5

बाध तथा संलग्न कार्य योजना अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य मद हेतु राशि रुपये 50.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

रामनगर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 50.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

नई गढ़ी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य मद में राशि रुपये 50.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

शामगढ़ सुवासरा सिंचाई परियोजना अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य मद में राशि रुपये 100.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

कुण्डलियां सिंचाई परियोजना अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य मद में राशि रुपये 150.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

मद क्रमांक 10

छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य मद में राशि रुपये 50.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

डिक्रीधन के भुगतान (भारित) योजना अंतर्गत डिक्रीधन मद में राशि रुपये 28.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है। प्रस्तावित राशि रुपये 28.00 करोड़ का समायोजन आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु किया जायेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 28,00,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 12

लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजनाएं अंतर्गत उप वृहद निर्माण कार्य मद हेतु राशि रुपये 50.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 024

मुख्य शीर्ष 2059

मद क्रमांक 1

एफ टाईप से उच्च श्रेणी के शासकीय आवास एवं गैर आवासीय भवनों का अनुरक्षण अंतर्गत स्थाई संपत्तियों का अनुरक्षण मद में राशि रुपये 25.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 7

परियोजना क्रियान्वयन इकाई के अंतर्गत व्यवसायिक सेवाओं की अदायगियों हेतु छः विभिन्न मदों में प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 600 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

मध्यप्रदेश बिल्डिंग डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड में निवेश योजना अंतर्गत सहायक अनुदान (संधारण अनुदान) मद में रुपये 10.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3054

मद क्रमांक 9

अनुरक्षण और मरम्मत-साधारण मरम्मत योजना अंतर्गत स्थाई संपत्तियों का अनुरक्षण मद में राशि रुपये 50.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण योजना अंतर्गत अनुरक्षण कार्य मद में राशि रुपये 100.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 11

विधि एवं विधायी कार्य विभाग की योजना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों एवं व्ही.व्ही.पी.ए.टी. के लिये वेयर हाऊस का निर्माण मद में राशि रुपये 9.60 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 9,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

डिक्रीधन के भुगतान (भारित) योजना अंतर्गत डिक्रीधन मद में राशि रुपये 35.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 35,00,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 13-15

वृहद पुलों का निर्माण योजना अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य मद में कुल राशि रुपये 200.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16

केन्द्रीय सड़क निधि अंतर्गत जबलपुर जिले के आधारताल रैम्प एवं पाटन रोड़ रैम्प का निर्माण (दमोह नाका रोटरी सहित) जबलपुर शहर में दमोह नाका से रानीताल मदनमहन (मेडीकल रोड़ तक) ऐलीवेटेड कॉरीडोर (प्लॉय ऑव्हर) के निर्माण कार्य नवीन अपरीक्षित मद के रूप में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17,19,21

मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन योजना अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य मद में कुल राशि रुपये 150.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18,20,22

मध्यप्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.) योजना अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य मद में कुल राशि रुपये 200.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 23

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित) के अंतर्गत निम्न 05 निर्माण कार्य नवीन अपरीक्षित मद के रूप में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लंबाई (कि.मी.)	लागत (लाख में)	प्रतीक प्रावधान (रु. में)
1.	मंदसौर	बही से गाजनी माता मंदिर मार्ग	2.50	175.00	100
2.	नर्मदापुरम	कोहदा-नयागांव	6.00	1500.00	100
3.	नर्मदापुरम	सेमरीहरचंद पिपल चौराहे रेल्वे स्टेशन मार्ग पर डिवाईडर एवं विद्युतीकरण	0.00	185.00	100
4.	रीवा	लालगांव अटरिया व्हाया सोनवर्षा बायपास मार्ग निर्माण	1.50	150.00	100
5.	रीवा	बरेही से मोहरिया पहुंच मार्ग	4.00	400.00	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 500 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 24,27,29

शहरी एवं नगरीय मार्गों का निर्माण / उन्नयन योजना अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य मद में कुल राशि रुपये 25.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 25,28,30

नवीन ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन योजना अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य मद में कुल राशि रुपये 25.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 26

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित) के अंतर्गत निम्न 03 निर्माण कार्य नवीन अपरीक्षित मद के रूप में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लंबाई (कि.मी.)	लागत (लाख में)	प्रतीक प्रावधान (रु. में)
1.	उमरिया	बम्हनगवां से रक्साही-चन्सुरा मार्ग	7.00	560.00	100
2.	उमरिया	मानपुर बाईपास मार्ग	3.00	240.00	100
3.	उमरिया	चंदवार से चन्सुरा मार्ग	2.00	160.00	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 31-33

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित) योजना अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य मद में कुल राशि रुपये 400.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 025

मुख्य शीर्ष 2853

मद क्रमांक 1

खनिज साधन विभाग की योजना निर्देशन तथा प्रशासन अंतर्गत लघु निर्माण कार्य के भुगतान हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

खनिज साधन विभाग की योजना खनिज अधिभार का रक्षित निधि में अंतरण हेतु राशि रुपये 113.05 करोड़ के प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,13,05,10,300 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

खनिज साधन विभाग की योजना जिला माइनिंग फण्ड अंतर्गत लघु निर्माण कार्य मद में राशि रुपये 45.00 करोड़ के प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 45,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4853

मद क्रमांक 4

खनिज साधन विभाग की योजना जिला माइनिंग फण्ड अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य के भुगतान हेतु राशि रुपये 255.00 करोड़ के प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,55,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 026

मुख्य शीर्ष 2205

मद क्रमांक 1

रविन्द्र भवन का स्थापना व्यय अंतर्गत व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां के लिये राशि रुपये 40.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

हिन्दी भवन निर्माण हेतु सहायता नवीन योजना अंतर्गत सहायक अनुदान हेतु राशि रुपये 2.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 3

डॉ. केशव हेडगेवार संग्रहालय की स्थापना नवीन योजना के अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 027
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

महर्षि पतंजली संस्कृत संस्थान योजना अंतर्गत अशासकीय आवासीय संस्कृत विद्यालयों (प्राच्य गुरुकुल) को सहायता प्रदान किये जाने हेतु राशि रुपये 3.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2-4

शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण योजना अंतर्गत बिजली एवं जल प्रभार के लंबित दायित्वों के भुगतान हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2204

मद क्रमांक 5

वरिष्ठ संभाग राष्ट्रीय छात्र सेना योजना अंतर्गत फर्नीचर क्रय हेतु राशि रुपये 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 028
मुख्य शीर्ष 2011

मद क्रमांक 1

संसदीय कार्य विभाग के अंतर्गत विधान सभा सचिवालय योजना के लिये विज्ञापन एवं प्रचार हेतु राशि रुपये 10.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 029
मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक 1 - 23

विधि एवं विधायी कार्य विभाग की केन्द्र प्रवर्तित योजना पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत फास्टट्रेक कोर्ट की स्थापना अंतर्गत नवीन सेगमेंट में वेतन भत्तों में राशि का प्रावधान आवश्यक होने से राशि रुपये 4286.65 लाख की आवश्यकता है। इस राशि का एस.एन. ए. खाते से समायोजन किया जायेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 42,86,65,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 24

विधि एवं विधायी कार्य विभाग की योजना निर्वाह पत्र तामिल स्थापना के लिये चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद में राशि रुपये 5.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 25 - 27

विधि एवं विधायी कार्य विभाग की योजना सामान्य स्थापना अंतर्गत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति में राशि रुपये 1.00 करोड़ एवं अभिभाषकों की फीस मद में राशि रुपये 35,000 कुल राशि रुपये 100.35 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,35,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 28

विधि एवं विधायी कार्य विभाग की योजना परिवार न्यायालयों के स्थापना के लिये चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद में राशि रुपये 5.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2015

मद क्रमांक 29

विधि एवं विधायी कार्य विभाग की योजना निर्वाचन प्राधिकारी के लिये वाहन का प्रतिस्थापन मद में राशि रुपये 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 30

विधि एवं विधायी कार्य विभाग की योजना संसद के लिये चुनाव कराने के प्रभार के लिये बिजली एवं जल प्रभार मद में राशि रुपये 14.17 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 14,17,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 31

विधि एवं विधायी कार्य विभाग की योजना राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के बिजली एवं जल प्रभार मद में राशि रुपये 14.10 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 14,10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 32

विधि एवं विधायी कार्य विभाग की योजना मतदाताओं को फोटो परिचय पत्र जारी करने के डाक एवं तार मद में राशि रुपये 5.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 33

विधि एवं विधायी कार्य विभाग की योजना मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण के लिये परिवहन व्यवस्था मद में राशि रुपये 4.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 34

विधि एवं विधायी कार्य विभाग की योजना विभागीय संपत्तियों का संधारण अंतर्गत स्थाई संपत्तियों का अनुरक्षण के (नवीन मद) में प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 35

विधि एवं विधायी कार्य विभाग की योजना विभागीय संपत्तियों का संधारण अंतर्गत स्थाई संपत्तियों का अनुरक्षण के मद में प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 36 - 59

विधि एवं विधायी कार्य विभाग की केन्द्र प्रवर्तित योजना विशेष न्यायालयों की स्थापना अंतर्गत नवीन सेगमेंट में वेतन भत्तों में राशि का प्रावधान आवश्यक होने से राशि रुपये 4226.90 लाख की आवश्यकता है। इस राशि का एस.एन. ए. खाते से समायोजन किया जायेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 42,26,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 60

विधि एवं विधायी कार्य विभाग की योजना मध्यप्रदेश विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान के लिये कार्यालय फर्नीचर का क्रय मद में राशि रुपये 5.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 030

मुख्य शीर्ष 2501

मद क्रमांक 1

ग्रामीण विभाग के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों को अतिरिक्त ब्याज अनुदान योजना 2018 अंतर्गत सहायक अनुदान (अपरीक्षित मद में) राशि रुपये 5106.31 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 51,06,31,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

महिला स्व सहायता समूहों को अतिरिक्त ब्याज अनुदान योजना 2018 अंतर्गत सहायक अनुदान (अपरीक्षित मद में) राशि रुपये 1925.33 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 19,25,33,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

महिला स्व सहायता समूहों को अतिरिक्त ब्याज अनुदान योजना 2018 अंतर्गत सहायक अनुदान (अपरीक्षित मद में) राशि रुपये 1339.36 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 13,39,36,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2505

मद क्रमांक 4

ग्रामीण विभाग के अंतर्गत (नवीन मद) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

ग्रामीण विभाग के अंतर्गत (नवीन मद) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

ग्रामीण विभाग के अंतर्गत (नवीन मद) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 7

ग्रामीण विभाग के अंतर्गत विकास आयुक्त योजना में (नवीन मद) हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4515

मद क्रमांक 8

ग्रामीण विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु अंतर्गत नवीन मद के लिये प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 031

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 1-3

योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग की योजना विधायक स्वेच्छा अनुदान निधि से आर्थिक सहायता अंतर्गत अन्य राज सहायता हेतु राशि रुपये 80.85 करोड़ के प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 80,85,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3454

मद क्रमांक 4 - 5

योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग की योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय अंतर्गत अन्य प्रभार मद पर भुगतान हेतु राशि रुपये 92.895 लाख एवं यात्रा भत्ता प्रशिक्षण/विदेश यात्रा मद हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 92,89,500 के अनुपूरक अनुदान एवं 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4515

मद क्रमांक 6,8,10

जन भागीदारी से क्रियान्वित जिला योजनाओं में शासन का अंशदान अंतर्गत उप वृहद निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 3.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7,9,11

योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग की योजना मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास अंतर्गत उप वृहद निर्माण हेतु राशि रुपये 150.15 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,50,15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 032
मुख्य शीर्ष 2220

मद क्रमांक 1

कार्यक्रम आयोजन एवं प्रबंधन हेतु योजना अंतर्गत अन्य प्रभार मद में वित्तीय वर्ष में राशि रुपये 10.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 033
मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1

संचालनालय जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों को पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने हेतु नवीन मद के रूप में प्रतीक प्रावधान किया जाना है। अतिरिक्त राशि की व्यवस्था विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन के माध्यम से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम को आई.टी.आई. प्रशिक्षणरत युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण, आजीविका एवं रोजगार की सुनिश्चितता तथा संस्थाओं के उन्नयन हेतु गठित स्पेशल परपस व्हीकल (परम) हेतु अनुदान के लिये राजस्व मद अंतर्गत राशि रुपये 8.86 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 8,86,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत पिछड़ी जनजातियों के व्यक्तियों को आहार अनुदान उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये नवीन योजना खोली जाकर प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित माध्यमिक हाई स्कूल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रीड़ा परिसरों में खेलकूद प्रतियोगितायें एवं पारितोषित सम्मान हेतु राशि रुपये 2.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा मंडल (मेपसेट) को आई.टी.आई. प्रशिक्षणरत युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण, आजीविका एवं रोजगार की सुनिश्चितता तथा संस्थाओं के उन्नयन हेतु गठित स्पेशल परपस व्हीकल (परम) हेतु अनुदान के लिये राजस्व मद अंतर्गत राशि रुपये 8.86 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 8,86,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6 - 7

जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को कॉमर्शियल पॉयलट प्रशिक्षण एवं विशेष सेवाओं के लिये मानदेय हेतु राशि की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में राजस्व में अंतर्गत नवीन मद खोली जाकर प्रतीक प्रावधान रखा जाना है।।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु राज्यांश मद अंतर्गत राशि रुपये 20.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता योजना अंतर्गत राशि रुपये 187.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,87,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10,12

जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना में केन्द्रांश/राज्यांश मद अंतर्गत राशि रुपये 205.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,05,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11,13

जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, कक्षा 9वीं, 10वीं के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना में केन्द्रांश/राज्यांश मद अंतर्गत राशि रुपये 13.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 13,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 14

जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित संग्रहालय छिंदवाड़ा के निर्माण कार्य हेतु पूंजीगत मद अंतर्गत राशि रुपये 15.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 034

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की मुख्यमंत्री निकाह योजना अंतर्गत राशि रुपये 5.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना) अंतर्गत राशि रुपये 31.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 31,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना) अंतर्गत राशि रुपये 11.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 11,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना) अंतर्गत राशि रुपये 8.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की निःशक्तजनों के लिये बाधारहित वातावरण योजना अंतर्गत राशि रुपये 1576.28 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 15,76,28,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की निःशक्तजनों के लिये बाधारहित वातावरण योजना अंतर्गत राशि रुपये 477.03 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,77,03,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 035
मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 1 - 3

जिला उद्योग केन्द्र अंतर्गत कार्यालय व्यय के लिये राशि रुपये 19,69,100, व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां के लिये राशि रुपये 27,00,000 एवं डिक्रीधन के भुगतान (भारित) के लिये रुपये 30,000 कुल राशि रुपये 46,99,100 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 46,69,100 के अनुपूरक अनुदान एवं राशि रुपये 30,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4851

मद क्रमांक 4

भू-अर्जन, सर्वे एवं डिमार्केशन, सर्विस चार्ज के लिये राशि रुपये 26.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 26,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 036
मुख्य शीर्ष 3055

मद क्रमांक 1

परिवहन विभाग की योजना ग्रामीण परिवहन नीति का क्रियान्वयन अंतर्गत व्यापार संरक्षण राज सहायता हेतु राशि रुपये 70.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 037
मुख्य शीर्ष 3452

मद क्रमांक 1

पर्यटन संचालनालय, कार्यालय व्यय हेतु नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 039
मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 1 - 4

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ योजना (नवीन मद) अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, परीक्षा एवं अन्य मद में प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ योजना अंतर्गत कार्यालय उपकरण हेतु राशि 6.66 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 6,66,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 040
मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 1

पंचायत विभाग के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान योजना अंतर्गत सशर्त-अनुदान (नवीन मद) हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

पंचायत विभाग के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान योजना अंतर्गत सशर्त-अनुदान (नवीन मद) हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

पंचायत विभाग के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान योजना अंतर्गत सशर्त-अनुदान (नवीन मद) हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 041
मुख्य शीर्ष 2852

मद क्रमांक 1

फ्रेन्ड्स ऑफ एम.पी. कॉन्क्लेव, सेमीनार, कार्यशाला, सम्मेलन हेतु राशि रुपये 20.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 042
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1

गैस राहत कल्याण विभाग अंतर्गत संचालनालय के लिये नवीन वाहन क्रय हेतु राशि रुपये 14.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 14,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 043
मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 1

खेलो इण्डिया योजना अंतर्गत भोपाल यूथ गेम्स के आयोजन हेतु खेल अधोसंरचना निर्माण के लिये राशि रुपये 10.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

खेल अकादमी की स्थापना योजना अंतर्गत हॉस्टल भवन निर्माण एवं स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में अतिरिक्त निर्माण हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 044
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय अंतर्गत किराया महसूल और स्थानीय कर हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन हेतु निःशुल्क शिक्षा योजना अंतर्गत शिष्यवृत्ति के भुगतान हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3-4

छात्रों के लिये पुस्तकें / स्टेशनरी आदि का प्रदाय योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति उपयोजना/अनुसूचित जाति उपयोजना मद हेतु कुल राशि रुपये 41.16 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 41,16,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 045
मुख्य शीर्ष 2029

मद क्रमांक 1

लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की नवीन योजना परिसमापक की परिसंपत्तियों से प्राप्त राजस्व के भुगतान अंतर्गत सहायक अनुदान मद में राशि रुपये 60.00 करोड़ की आवश्यकता है। सहायक अनुदान मद में प्रस्तावित राशि रुपये 60.00 करोड़ में से रुपये 20,54,32,500 का समायोजन आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु किया जायेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित राशि रुपये 60,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 2

लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की नवीन योजना लोक परिसंपत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना अंतर्गत उप वृहद निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये

50.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 046
मुख्य शीर्ष 3425

मद क्रमांक 1 - 2

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य योजना अंतर्गत पारितोषिक, पुरस्कार, सम्मान एवं प्रशिक्षण मद हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5425

मद क्रमांक 3

विज्ञान पार्क की स्थापना योजना अंतर्गत उज्जैन में स्थापित उप क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र हेतु राशि रुपये 165.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,65,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4,6,8

केन्द्र शासन की पूंजी निवेश के लिये राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता हेतु पी.एम. गतिशक्ति डाटा सेंटर योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट डाटा सेंटर का उन्नयन नवीन योजना हेतु राशि रुपये 300 का प्रतीक प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5,7,9

राज्य के विभिन्न शासकीय कार्यालयों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता नवीन योजना अंतर्गत प्रतीक प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 047
मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 1

तकनीकी शिक्षा संचालनालय अंतर्गत किराया महसूल और स्थानीय कर हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2-4

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अंतर्गत शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु कुल राशि रुपये 77.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 77,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 - 6

तकनीकी शिक्षा अंतर्गत पोलिटेक्निक संस्थाओं के उन्नयन हेतु कार्यालय फर्नीचर एवं पुस्तके/नियतकालिक पत्रिकाओं के लिये सामान्य मद में प्राप्त केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना अंतर्गत राशि रुपये 2.83 लाख एवं रुपये 5.51 लाख इस प्रकार कुल राशि रुपये 8.34 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 8,34,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

तकनीकी शिक्षा अंतर्गत पोलीटेक्निक संस्थाओं के उन्नयन हेतु कार्यालय उपकरणों के लिये अनुसूचित जनजाति उपयोजना मद में प्राप्त केन्द्रीय सहायता राशि रुपये 89.02 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 89,02,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

तकनीकी शिक्षा अंतर्गत पोलीटेक्निक संस्थाओं के उन्नयन हेतु कार्यालय उपकरण क्रय के लिये अनुसूचित जाति उपयोजना मद में प्राप्त केन्द्रीय सहायता राशि रुपये 82.36 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 82,36,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 9 - 11

केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों में आई.टी.आई./कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना योजना हेतु केन्द्रांश राशि रुपये 300 का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12 - 14

केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों में आई.टी.आई./कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना योजना हेतु राज्यांश राशि रुपये 300 का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 15 - 16

केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों में आई.टी.आई./कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना योजना हेतु मशीने एवं संयंत्र, वृहद् निर्माण कार्य के लिये केन्द्रांश राशि रुपये 200 का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17 - 18

केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों में आई.टी.आई./कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना योजना हेतु मशीने एवं संयंत्र, वृहद् निर्माण कार्य के लिये राज्यांश राशि रुपये 200 का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 048

मुख्य शीर्ष 2700

मद क्रमांक 1

अलीराजपुर उद्ग्रहन सिंचाई परियोजना अंतर्गत अनुरक्षण मद में विद्युत प्रभार के भुगतान हेतु राशि रुपये 50.00 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

नर्मदा मालवा गंधीर लिंक उद्ग्रहन सिंचाई परियोजना अंतर्गत अनुरक्षण मद में विद्युत प्रभार के भुगतान हेतु राशि रुपये 70.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 70,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

किल्लौद उद्वहन माइक्रों सिंचाई परियोजना अंतर्गत अनुरक्षण मद में विद्युत प्रभार के भुगतान हेतु प्रतीक प्रावधान किया जाना है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

पामखेड़ी उद्वहन माइक्रों सिंचाई परियोजना अंतर्गत अनुरक्षण मद में विद्युत प्रभार के भुगतान हेतु प्रतीक प्रावधान किया जाना है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

भुरलाय उद्वहन माइक्रों सिंचाई परियोजना अंतर्गत अनुरक्षण मद में विद्युत प्रभार के भुगतान हेतु प्रतीक प्रावधान किया जाना है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

कोदवार उद्वहन माइक्रों सिंचाई परियोजना अंतर्गत अनुरक्षण मद में विद्युत प्रभार के भुगतान हेतु प्रतीक प्रावधान किया जाना है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

निष्पादन स्थापना (यूनिट-एक एवं यूनिट-दो) अंतर्गत स्थाई संपत्तियों का अनुरक्षण मद में राशि रुपये 2.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

नहर एवं उससे संबंधित निर्माण कार्य अंतर्गत स्थाई संपत्तियों का अनुरक्षण हेतु राशि रुपये 2.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9 - 10

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के सभी बिजली बिल योजना अंतर्गत स्थाई संपत्तियों का अनुरक्षण में राशि रुपये 1.00 करोड़ तथा विद्युत प्रभार मद में राशि रुपये 52.00 करोड़ इस प्रकार कुल राशि रुपये 53.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 53,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

पुनासा विस्तार योजना अंतर्गत अनुरक्षण मद में विद्युत प्रभार के भुगतान हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

रानी अवंती बाई सागर परियोजना जबलपुर यूनिट-दो हेतु स्थाई संपत्तियों का अनुरक्षण मद में राशि रुपये 50.00 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

अपर वेदा परियोजना अंतर्गत स्थाई संपत्तियों का अनुरक्षण मद हेतु राशि रुपये 25.00 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2701

मद क्रमांक 14

जोबट परियोजना अंतर्गत स्थाई संपत्तियों का अनुरक्षण मद हेतु राशि रुपये 30.00 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15-16

मान परियोजना अंतर्गत स्थाई संपत्तियों का अनुरक्षण मद में रुपये 15.00 लाख एवं विद्युत प्रभार मद में प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 15,00,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 17 - 18

सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भू-अर्जन एवं अन्य कार्यों पर खर्च योजना अंतर्गत मशीन एवं उपकरण का अनुरक्षण में राशि रुपये 50.00 लाख एवं विद्युत प्रभार मद में राशि रुपये 50.00 लाख इस प्रकार कुल राशि रुपये 1.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 19

बरगी नहर व्यपवर्तन योजना अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य मद हेतु राशि रुपये 25.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20

काली सिंध लिंक परियोजना अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य मद हेतु राशि रुपये 275.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,75,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 21

पिपरी उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य मद हेतु राशि रुपये 60.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 60,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 22

नर्मदा (आई.एस.पी.) पार्वती लिंक परियोजना अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य मद हेतु राशि रुपये 100.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 23

डही उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य मद हेतु राशि रुपये 130.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 24

आई.एस.पी. कालीसिंध उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना फेस-2 अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य मद हेतु राशि रुपये 100.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 25

नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर उद्वहन योजना अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य मद हेतु राशि रुपये 110.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 049

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आयोजित वाल्मिकि जयंती, संत रविदास जयंती, संत कबीर जयंती एवं अम्बेडर जयंती कार्यक्रम में अनुसूचित जाति सेवा पुरस्कार, पारितोषिक एवं सम्मान हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति सहकारी वित्त विकास निगम को आई.टी.आई. प्रशिक्षणरत युवाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण, आजिविका एवं रोजगार की सुनिश्चितता तथा संस्थाओं के उन्नयन हेतु गठित स्पेशल परपस व्हीकल (परम) हेतु अनुदान के लिये राजस्व मद अंतर्गत राशि रुपये 8.86 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 8,86,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कक्षा 11वीं की कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन के लिये राशि रुपये 6.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मण्डल को शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के लंबित भुगतान हेतु राशि रुपये 1.38 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,38,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता अंतर्गत राशि रुपये 97.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 97,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पोस्ट मैट्रिक एवं महाविद्यालयीन छात्रवृत्ति के अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु राज्यांश मद में राशि रुपये 50.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7 - 19

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत वेतन भत्तों के भुगतान हेतु पृथक बजट लाईन (सेगमेंट-0707) खोली जाकर मूल बजट में किये गये प्रावधान के अनुसार राशि रुपये 77.11 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 77,11,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 20

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित संत रविदास मंगल भवन, स्मारक भवन के निर्माण हेतु पूंजीगत मद में प्रतीक प्रावधान किया जाना है। अतिरिक्त राशि की व्यवस्था विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन के माध्यम से सुनिश्चित की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 051

मुख्य शीर्ष 2250

मद क्रमांक 1

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग अंतर्गत किराया, महसूल और स्थानीय कर के भुगतान हेतु नवीन मद खोला जाकर प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 052

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1-3

चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु राशि रुपये 45.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 45,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत किराया, महसूल और स्थानीय कर के भुगतान हेतु नवीन मद के तहत प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम, दतिया, शिवपुरी एवं सतना महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु राशि रुपये 3.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6-8

चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों रतलाम, दतिया, शिवपुरी एवं सतना के सम्बद्ध चिकित्सालयों के लिये वेतन भत्तों आदि के भुगतान (संधारण अनुदान) हेतु राशि रुपये 50.70 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 053

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1

अल्प संख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत वक्फ न्यायाधिकरण में पदस्थ पीठासीन अधिकारी (न्यायिक सेवा के अधिकारी) को छटवां वेतनमान लागू होने के कारण मूल वेतन का तीस प्रतिशत अंतरिम राहत भुगतान हेतु राजस्व मद अंतर्गत नवीन मद खोला जाकर राशि रुपये 3.83 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,83,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 2

अल्प संख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम हेतु आकस्मिकता निधि से उपलब्ध करायी गई राशि के समायोजन हेतु राशि रुपये 11.5491 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 11,54,91,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 054

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कक्षा 11वीं, 12वीं, एवं महाविद्यालय के पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु राज्य मद में राशि रुपये 441.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,41,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिये विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति हेतु राजस्व मद अंतर्गत राशि रुपये 14.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 14,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 09वीं, 10वीं, के पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु राज्य मद में राशि रुपये 43.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 43,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 5

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के लिये कार्यालय उपकरणों एवं अन्य व्यय हेतु राजस्व मद अंतर्गत राशि रुपये 42.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 42,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 055

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1 - 14

केन्द्र प्रवर्तित योजना आंगनवाड़ी सेवायें (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) में वेतन के साथ ही विशेष सेवाओं के लिये मानदेय के भुगतान हेतु नवीन बजट लाइन-0707 खोली जाकर मूल बजट में किये गये प्रावधान के अनुसार उक्त मद में राशि रुपये 10,03,44,99,000 के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,03,44,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15 - 26

पोषण अभियान (एन.एन.एम.) (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) के अंतर्गत वेतन भत्तों के भुगतान हेतु पृथक बजट लाईन (सेगमेन्ट-0707) खोली जाकर मूल बजट में किये गये प्रावधान के अनुसार वेतन मद में वित्तीय वर्ष में राशि रुपये 52.62 लाख के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 52,62,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 27 - 31

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत वेतन भत्तों के भुगतान हेतु पृथक बजट लाईन (सेगमेन्ट-0707) खोली जाकर मूल बजट में किये गये प्रावधान के अनुसार वेतन मद में प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 500 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 32 - 33

राज्य महिला आयोग का गठन योजना में हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय एवं उनका संधारण मद में प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 34 - 35

लाड़ली लक्ष्मी योजना में विशेष सेवाओं एवं अन्य प्रभार मद में राशि रुपये 4.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 36

महिला शक्ति केन्द्र हेतु संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के भुगतान हेतु नवीन बजट लाइन (सेगमेन्ट-0707) खोला जाकर मूल बजट में किये गये प्रावधान के अनुसार राशि रुपये 5.00 करोड़ के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 37 - 48

समेकित बाल संरक्षण योजना (आई सी पी.एस) (मिशन वात्सल्य) के अंतर्गत वेतन भत्तों के भुगतान हेतु पृथक बजट लाईन (सेगमेन्ट-0707) खोली जाकर मूल बजट में किये गये प्रावधान के अनुसार वेतन मद में वित्तीय वर्ष में राशि रुपये 2027.91 लाख के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,27,91,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 49

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी एम एम वी आई) (मिशन शक्ति सामर्थ्य) के अंतर्गत वेतन भत्तों के भुगतान हेतु पृथक बजट लाईन (सेगमेन्ट-0707) खोली जाकर मूल बजट में किये गये प्रावधान के अनुसार संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक हेतु राशि रुपये 4360.60 लाख के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 43,60,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 50

मिशन शक्ति योजना संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के भुगतान हेतु पृथक बजट लाईन (सेगमेन्ट-0707) खोली जाकर मूल बजट में किये गये प्रावधान के अनुसार प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 51 - 55

मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत वेतन भत्तों के भुगतान हेतु पृथक बजट लाईन (सेगमेन्ट-0707) खोली जाकर मूल बजट में किये गये प्रावधान के अनुसार वेतन मद में प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 500 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 056
मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 1

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की एक जिला एक उत्पाद के संचालन की योजना अंतर्गत शर्त रहित अनुदान मद में (नवीन मद) हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की एक जिला एक उत्पाद के संचालन की योजना अंतर्गत शर्त रहित अनुदान मद में (नवीन मद) हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की एक जिला एक उत्पाद के संचालन की योजना अंतर्गत शर्त रहित अनुदान मद में (नवीन मद) हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 057
मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 1

आनन्दम विभाग के अंतर्गत किराया, महसूल और स्थानीय कर के भुगतान हेतु मद में प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।